104

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 17 मार्च, 2023 की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2023 को 11.00 बजे प्रशासनिक खण्ड के प्रथम तल पर स्थित समिति कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1.	आचार्य प्रमोद कुमार जैन, निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	आचार्य विकाश कुमार दुबे, अधिष्ठाता (अनुसंधान एवं विकास)	-	सदस्य
3.	आचार्य लाल प्रताप सिंह, अधिष्ठाता (छात्र कल्याण)	-	सदस्य
4.	श्री राजन श्रीवास्तव, कुलसचिव (प्रभार)	-	सदस्य
5.	आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, भैषजकीय अभियांत्रिकी विभाग	-	सदस्य
6.	आचार्य संजय कुमार पांडेय, गणितीय विज्ञान विभाग	-	सदस्य
7.	डॉ. सर्वेश कुमार तिवारी, संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन-II/लेखा)	-	सदस्य
8.	श्री रवि कुमार, सहायक कुलसचिव (राजभाषा)	-	सदस्य सचिव

आचार्य राजीव श्रीवास्तव, अधिष्ठाता (संसाधन एवं पूर्व छात्र), आचार्य एस.बी.द्विवेदी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य), आचार्य रजनेश त्यागी, अधिष्ठाता (संकाय कार्य), आचार्य सत्यवीर सिंह एवं श्री जगदीश नारायण राय, संयोजक, केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद, वाराणसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त बैठक में श्री महेश पांडेय, प्रणाली विशेषज्ञ (सी.सी.आई.एस), श्री शशांक पाठक, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा श्री राजीव रंजन, अधीक्षक (राजभाषा) भी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

मद सं. 1: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 नवंबर, 2022 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

दिनांक 22 नवंबर, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समिति ने पुष्टि की।

मद सं. 2: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 22 नवंबर, 2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 नवंबर, 2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. समिति को यह अवगत कराया गया कि हिन्दी में तैयार शैक्षणिक प्रपत्रों को पूर्ण रूप से संशोधित करने के उपरांत शैक्षणिक कार्य कार्यालय को भेजा जा चुका है, जिस पर कोई टिप्पणी नही प्राप्त हुई है।

   अतः यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रपत्रों को सीनेट में रखवाया जाए। इसके लिए अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य) एवं कुलसचिव महोदय से अनुरोध किया जाए।

2. संस्थान में संग्रहालय को स्थापित करने की दिशा में जिन विभागों/स्कूलों/इकाइयों से मशीन/उपकरण एवं पाण्डुलिपि की सूची भेजी जा रही है, उसकी प्राचीनता एवं पुरातात्विक महत्व को गठित समिति द्वारा जाँच लिया जाए। इसके लिए संग्रहालय समिति से अनुरोध किया जाए कि वे उक्त मशीनों/उपकरणों को प्राचीनता एवं पुरातात्विक महत्व के आधार पर संग्रहालय में रखें जाने का अनुरोध ही स्वीकार करें तथा जो सामान्य प्रकार के मशीन/उपकरण हों, उसे संग्रहालय में रखने हेतु शामिल न करें। पाण्डुलिपियों को पुस्तकालय में एवं उपकरणों को मुख्य कार्यशाला में रखा जाए।

3. समिति को यह अवगत कराया गया कि आचार्य विनय कुमार सिंह, सिरामिक अभियांत्रिकी विभाग से हिन्दी में पुस्तक लेखन के खर्चों का विवरण एक लाख के अंदर देने का अनुरोध किया गया था, परंतु उनके द्वारा पुनः दो लाख के खर्चों का विवरण भेजा गया है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने आचार्य विनय कुमार सिंह, सिरामिक अभियांत्रिकी विभाग से उक्त पुस्तक के लेखन कार्य को करने वाले का नाम भेजने का अनुरोध किए जाने का निर्देश दिया है।

4. संस्थान की वेबसाइट को हिन्दी में तैयार करने के क्रम में तैयार मुख्य पृष्ठ (https://devtst.iitbhu.ac.in) एवं राजभाषा प्रकोष्ठ के अद्यतन वेबपेज (https://iitbhu.ac.in/rajbhasha) को समिति के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि दोनों लिंक को ई-मेल के माध्यम से अधिष्ठाता (अनुसंधान एवं विकास), अधिष्ठाता (छात्र कल्याण), आचार्य संजय कुमार पांडेय, श्री राजन श्रीवास्तव, कुलसचिव (प्रभार) एवं डॉ. सर्वेश कुमार तिवारी, संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन) को भेजा जाय तथा उनको इस पर एक सप्ताह के अंदर अपनी टिप्पणी देने हेतु कहा जाए।

सर्वेश

कृ.पृ.उ.

इसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवश्यक एवं यथोचित संशोधनों को सम्मिलित करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

5. तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग (CSTT) द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार विज्ञान व तकनीकी विषयों के मानक शब्दकोशों के लिंक को समस्त विभागों/स्कूलों में भेजा गया था। उक्त पर यह भी निर्णय लिया गया कि इन लिंक को संस्थान की वेबसाइट पर राजभाषा प्रकोष्ठ के वेबपेज में भी प्रविष्ट करवा दिया जाए।

6. समिति को यह अवगत कराया गया कि राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के मानक रूप को हिन्दी में तैयार करके उप कुलसचिव (लेखा) के पास टिप्पणी देने हेतु भेजा गया है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने उक्त निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र पर टिप्पणी शीघ्र प्राप्त कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 3: **क) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को संस्थान की ऑनलाइन माध्यम से भेजी गयी पिछली चार हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा।**

समिति के समक्ष पिछली चार तिमाहियों (जनवरी-मार्च, 2022 से अक्तूबर-दिसंबर, 2022) के हिन्दी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने संतोष व्यक्त किया।

ख) संस्थान की जुलाई-सितंबर, 2022 की भेजी गई हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर राजभाषा प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षा।

राजभाषा प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई-सितंबर, 2022 की उक्त रिपोर्ट पर प्राप्त टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा चुकी है। उक्त कार्रवाई से मंत्रालय को अवगत भी कराया जा चुका है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तिमाही में ऑन लाइन माध्यम से एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। चूँकि संस्थान की मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% से कम है अतः इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

मद सं. 4: **संस्थान में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग एवं अन्य मद पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए-**

क) आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, भैषजकीय अभियांत्रिकी विभाग एवं अध्यक्ष, पुस्तक ने "भारतीय विज्ञान का इतिहास"उक्त पुस्तक के लेखन की अवधि छः माह तक के लिए बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था, जिसे निदेशक महोदय ने पुस्तक लेखन की निर्धारित अवधि मई-2022 से मई-2023 से आगे छः माह तक के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

ख) संस्थान में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली हिन्दी कार्यशाला को यथा संभव भौतिक रूप/ऑफ लाइन में ही आयोजित किया जाए, जिसमें सभी विभागों/स्कूलों से दो संकाय सदस्यों को भी नामित करने का अनुरोध किया जाए।

रवि कुमार (रवि कुमार) सदस्य सचिव	सर्वेश 23/03/2023 (सर्वेश कुमार तिवारी) सदस्य	(संजय कुमार पांडेय) सदस्य
(सुशांत कुमार श्रीवास्तव) सदस्य	23/3/23 (राजन श्रीवास्तव) सदस्य	(लाल प्रताप सिंह) सदस्य
विकाश कुमार दुबे (विकाश कुमार दुबे) सदस्य		प्रमोद कुमार जैन (प्रमोद कुमार जैन) निदेशक